राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऐं, राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33 / प्रयो0सहा0 / (एफ–385) / सीधी भर्ती–2013 / 2018 / दिनांकः

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांकःई–33 / प्रयो0 सहा0 / सीधी भर्ती–2013 / 2016 / 515 दिनांक 27.04.16 के अनारक्षित वर्ग के क्रम संख्या 28 पर अंकित श्री विरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री पुत्र श्री मदन सिंह भाटी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर मे किया गया था।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर रिट संख्या 10408 / 2015 नन्दकिशोर बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय / आदेश दिनांक 16.01.2018 की पालना में अनुभव प्रमाण पत्र को स्वीकार के पश्चात अन्तिम कटऑफ से उच्च वरियता वाले अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग की **वरियता सूची में सम्मिलित करने के फलस्वरूप श्री विरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री पुत्र श्री मदन सिंह भाटी के अनारक्षित वर्ग में अन्तिम कटऑफ से कम प्राप्तांक प्रतिशत होने के कारण प्रयोगशाला सहायक के पद पर सेवारत रहने के अयोग्य हो गये है।**

अतःएस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10408 / 2015 श्री नन्दकिशोर बनाम राज्य सरकार व अन्य में **पारित निर्णय / आदेश दिनांक 16.01.2018 की पालना में श्री विरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री मदन सिंह भाटी को उक्त वर्णित आदेश द्वारा प्रयोगशाला सहायक पद पर दी गई नियुक्ति को प्रत्याहारित करते हुये राज्य सेवा से तत्काल प्रभाव से पृथक किया जाता है।**

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किये जा रहे है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकःई–33 / प्रयो0सहा0 / (एफ–385) / सीधी भर्ती–2013 / 2018 / 278 दिनांकः 25/07/2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. श्री कान्ती लाल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
5. जिला कुष्ठ रोग अधिकारी, जोधपुर एवं समन्वयक।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन–जोधपुर।
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जैसलमेर।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
9. श्री विरेन्द्र सिंह भाटी पुत्र श्री मदन सिंह भाटी, प्रयोगशाला सहायक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
10. आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राजस्थान जयपुर